न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 301/2023 निर्णय दिनांक :– 8/5/24

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. कल्ली पुत्री करणा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. केसरा दत्तक पुत्र बच्छू जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. गोपाल पुत्र करणा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. बजरंगलाल पुत्र करणा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. रामलाल पुत्र करणा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. खानाराम पुत्र मोती जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. प्रधान पुत्र मोती जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :– श्री आलोक कुमार शर्मा, श्री राजकुमार शर्मा तहसीलदार देवली
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 1533 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है।

उक्त आराजी भूमि के सहखातेदार मोती दत्तक पुत्र बच्छु की मृत्यु हो चुकी है। मृतक मोती के वारिसान् प्रार्थी संख्या 6 व 7 है जिनके नाम फोती नामान्तकरण नही खुला है। प्रार्थीगण ने पूर्व में नाप चोप करवायी थी जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मौके पर प्रार्थीगण एवं पड़ोसी खातेदारों में मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत् उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी नही करवायी गई तो मौके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई–झगडा होगा तथा अनावश्यक रुप से मुकदमें बाजी बढेगी। उक्त भूमि बावत् कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नही है और किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नही है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी भूमि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बावत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त खसरा नम्बर आवेदक की खातेदारी में दर्ज होकर मौके पर कब्जा है। जिसमें खातेदारों के 02 मकान बने हुये है। अन्य खातेदरों का कब्जा नही है। आवेदक का उक्त खसरा नम्बर के उतरी मेंड़ पर विवाद है। खसरा नम्बर 1533 के उत्तर में दर्ज खसरा नम्बर 1536 के खातेदार से विवाद है। आवेदक के समस्त के नाम खातेदारी दर्ज है। खसरा नम्बर 1536 के खातेदार पक्षकार लाडा पुत्री गोपी की मृत्यु हो चुकी है जिसका नामा0 शेष है। आवेदक का जिन खातेदारों से विवाद है उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नही है। पूर्व में सीमाज्ञान नही करवाया गया।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी का कब्जा होने पर नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर, जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में अंकित खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 1533 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम निवारिया तहसील देवली जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली